आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.10.19	**न्यायालय, अपर समाहर्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–43/2019** बासुदेव यादव –बनाम– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा–मैथा, थाना नं0–251, खाता नं0–78, प्लॉट नं0–101/2, 102, 103/1, सम्मिलित रकबा–0.1121 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचनाओं के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक अनुपस्थित। आवेदक अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि अर्जित भूमि पर मकान एवं दुकान निर्मित है। जिसपर बने पक्का मकान पर होटल चल रहा है। उक्त भूमि व्यवसायिक प्रयोग योग्य है। परन्तु अर्जित भूमि/संरचना का कृषि दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। आवेदक द्वारा अर्जित भूमि एवं अवस्थित संरचना का व्यवसायिक दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा अर्जित भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI वास्तविकता की जाँच करते हुए उचित/निर्धारित दर पर अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि यदि आवेदक को देय हो तो नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। अपर समाहर्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner